फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री किशनसिंह **विपक्षी : उमाबाई**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 45/16**

जीसीएमएस : 2016/00374

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 2 से 7 के जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होना बताकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादग्रस्त भूमि मौजा कालानाडा पटवार हल्का थामला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 14 पर दर्ज आराजी नम्बर 886, 887 किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी माता प्रेमकुंवर की पैतृक सम्पति होना बताकर हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु विपक्षीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:21 IST
Reason: SelfAttested

से रोका जाता है तो इससे उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के विरूद्व साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:21 IST
Reason: SelfAttested